

उद्घरण खतौनी

ग्राम क्रमांक : 216964

ग्राम का नाम / परगना : नूरनगर(लोनी)

तहसील : गाजियाबाद

जनपद : गाजियाबाद

कसली वर्ष : 1421-1426

भाग : 1

उद्घरण क्रमांक : 4940394

खतौनी का नाम / पिता पति सरलक का नाम / निवास स्थान
 खतौनी
 पद
 गाजिया

भूमिक अधिकार प्राप्त होने का वर्ष	खाले के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	खालेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सांश उन्की संख्या तथा दिनांक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी
-----------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------	--------------------------------------	--	---------

3	4	5	6	7-12	13
---	---	---	---	------	----

शेरा : 1 फी. 100 यो यजमपाय भूमिधरो के अधिकार में हो।

00018 अजय कुमार गर्ग / महेशचन्द गर्ग / II-F-55, नेहरूनगर, गा.बाद

विमल कुमार गर्ग / महेशचन्द गर्ग / II-F-55, नेहरूनगर, गा.बाद

गोपालचन्द / तिरवा / नि. ग्राम

विमल कुमार / गंगावर्मा / नि. ग्राम

विमला देवी पत्नी / गंगावर्मा / नि. ग्राम

मह. आवास विकास प्रा. लि. रजि. आ. / 301 थर्ड फ्लोर, सचदेवा कारपोरेट / टावर

फ्लैट 17 कम्युनिटी सेंटर

./ / फडकड्डा दिल्ली द्वारा मैने

हाथेकर रजनीश प्रसा / दिनेशचन्द प्रसा / उक्त कम्पनी

1414फ	1102मि.	1.3410
-------	---------	--------

1419-फ. न्यायालय उपजिलाधिकारी/ सहकय कलेक्टर (प्रथम श्रेणी) गाजियाबाद वाद स. 63/ 2010-11 अन्तर्गतधारा 143 उ.प्र. ज. वि. अ. ग्राम नूरनगर परगना लोनी तहसील व जिला गाजियाबाद यह अवास विकास प्रा. लि. आदि बनाने उत्तर प्रदेश सरकार --- आदेश --- उक्त

वाद में ग्राम नूरनगर परगना लोनी के खतौनी वर्ष 1415 ता. 1420 फ. के खाल संख्या 768 के खसरा न. 1102मि./ 0.059 है. उक्त, खतौनी वर्ष 1415 ता. 1420 फ. के खाल न. 9 के खसरा न. 1102मि./ 0.4786 है. उत्तर दिशा, बाद संख्या 04/2010 धारा 182 उ.प्र. ज. वि. अ. विनोद कुमार आदि बनाम

गागा चरन में स्वीकार हुई दिनांक 25.7.11 के अनुसार भूमि स्थित ग्राम नूरनगर परगना लोनी को तहसीलदार गाजियाबाद की आख्या, शासनदेशों के क्रम में स्ट.प्र. अमर्चन रोकेने के उद्देश्य से इस प्रतिबन्ध के साथ कि विकास प्राधिकरण अथवा स्थानीय निकाय के विकास एवं

निर्माण व भू. उपयोग परिवर्तन तथा भूमि अर्जन अधिनियम 1894 (अधिनियम संख्या 1 सन 1984) को धारा 4 की उपधारा (1) सम्बन्धी प्राविधान पूर्व की भांति यथावत लागू रहेंगे, अकृत्रिक

घोषित किया जाता है। एसडी0 (डी.पी.पाल) उपजिलाधिकारी/सहायक कलेक्टर (प्रथम श्रेणी) गजियाबाद।

ह.अ.र.का. 15.10.11।

मैनेजर भारतीय स्टेट बैंक एस.एम.ई. शाखा नोएडा के पत्र दि.16.07.13 के अनुसार अजय कुमार गर्ग वित्तिय कुमार गर्ग पुत्र महेशचन्द गर्ग ने अपनी भूमि खाला नं.80 ख.नं. 1102 की भाग भूमि व मै.ग्रह अवास विकास प्रा.लि. ने अपनी भूमि खाला नं.768, 9 ख.नं.1102मि. की भाग भूमि 10.23 करोड़ रु.

में बंधक की ह.अ.र.का.01.08.13

1421-फ. अदेश श्रीमान तहसीलदार गजियाबाद मि.नं. 1579/21.10.13 को अदेश हुआ कि खाला नं. 9 के खसरा नं. 1102मि. रकबा 0.5376 है. गा.पु. परतानुसार से विक्रेता विनोद त्यागी पुत्र स्व. गंगावासी व श्रीमति विमला देवी फरी स्व. गंगावासी नि. ग्राम नूनगर का नाम खारिज करके केला चामर्स

इंडिया प्रा0लि0 प्लॉट नं. पी 501 विशाल चैम्बर्स सै-18 नोएडा जिला गौतमबुद्धनगर द्वारा डायरेक्टर संजय सिंघल पुत्र स्व. योगसिंह सिंघल का नाम बतौर बेनामा दर्ज हो। ह.अ.र.का. 12.11.13।

1421-फ. न्यायालय उपजिलाधिकारी/सहायक कलेक्टर (प्रथम श्रेणी) गा.बाद बाद संख्या T2014112801738 धारा 143 उ.प्र. ज.वि.अधि. ग्राम नूनगर परगना लोनी तहसील व जिला गजियाबाद मैसर्स चामर्स इण्डिया प्रा0लि0 बनारस उ0प्र0 सरकार अदेश दि. 23.1.14 --- ग्राम नूनगर परगना लोनी खतौनी वर्ष 1415 ता. 1420

के खाला नं. 9 के खसरा नं. 1102मि. रकबा 0.5376 है. व खाला नं. 83 के खसरा नं. 1055मि. रकबा 0.1060 है. केवल बादी के स्वामित्व की संक्रमणीय भूमि को तहसीलदार गजियाबाद की आंख आ शासनदेशों के क्रम में स्टाम्प अपवचना रोकने के उद्देश्य से इस प्रतिबंध के साथ कि विकास प्राधिकरण अथवा स्थानीय

निकाय के विकास एवं निर्माण व भू-उपयोग परिवर्तन तथा भूमि अर्जन अधिनियम 1894 (अधिनियम सं. 1 संम 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) सार्वभौम प्राधिकार पूर्व की भूमि यथावत लगा रहेंगे, अकुशिक घोषित किया जाता है। एसडी0 उपजिलाधिकारी गाजियाबाद 23.1.14। ह.अ.र.का. 12.2.14।

1422-फ. अपर जिलाधिकारी (भू.अ.) सिवाई गाबाद कीरिपोर्ट दि. 22.1.15 के अनुसार भूमि अध्याप्ति बादास. 2 संम 2011 में ड.प्र. शासन आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 की विन्यास सं. 1689 / 8-3-13- 84 एल0ए0 13 लखनऊ दि. 14.08.2013 के अनुसार निम्नलिखित वृक्षकाणों की भूमि पर दि.

10.01.2014को उत्तर प्रदेश (गाजियाबाद विकास प्राधिकरण गाजियाबाद) विभाग को कब्जा दिया जा चुका है। स्तम्भ 1 में उल्लिखित व्यक्ति / व्यक्तियों (का / की) नाम स्तम्भ 2, 3 व 4 में उल्लिखित भूमि के खण्डित करके उत्तर प्रदेश सरकार गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

गाजियाबाद के नाम खतौनी में दर्ज की जाये। विवरण निम्नवत है :- ग्राम नूरनगर, 328 गृह आवास विकास प्र0 लि0 रजि0 आफिस 301 थर्ड फ्लोर सचदेवा कारपोरेट टावर प्लाट -17 जी0ई0ए0 कम्प्यूटरी सेक्टर कडकड इमा दिल्ली 92 द्वारा मेनेजिंग डायरेक्टर रजनीश प्रसा एन दिनेशचन्द

प्रसा. 329. अजय कुमार गर्ग पुत्र महेशचन्द गर्ग नि. थर्ड एफ नेहरूनगर गाजियाबाद. 330. विनय कुमार गर्ग पुत्र महेशचन्द गर्ग निवासी थर्ड एफ नेहरूनगर गाजियाबाद, गंगाचरन पुत्र तिरुवा निवासी ग्राम, खाला नं. 9, खसरा नं. 1102नि. अध्याप्ति भूमि का क्षेत्रफल 0.0547 है. मा.गु. जो लूम की जायेगी 3.20रू.

फलसल व सम सबसे आदेश लागू होगा 1415 से 1420 फ. अन्यविवरण मास्टर प्लान पेट है। ह.अ. कलकत्ताभूमि अध्याप्ति प्रयोजनार्थ गाजियाबाद। ह.अ.र.का. 26.2.15।

1422-फ. लेटर पैड स्टेट बैंक आफ इन्डिया एस0ए0ई0ब्रांच सै-18 नोएडा पर पुरांकित आदेश तहसीलदार महोदय गाजियाबाद

के अंश दि. 31.3.15 के अनुपालन में गृह आवास विकास
(प्रॉजेक्ट) लिमिटेड द्वारा 10.23 करोड़ रुपय ख.न. 1102 व
1102मि खाला न. 768 व 09 को बन्धक रख

लिया था जो दिनांक 30.9.14 को जमा कर दिया गया है। खाला
बन्धक मुक्त दर्ज होवे। ह.अ.र.का।

1	1.3410	₹ 78.50	19	0
---	--------	---------	----	---

कुल गाटे- एक कुल क्षेत्रफल- एक दशमलव तीन चार एक शून्य (दिकेयर) कुल भू-राजस्व - सात अठ दशमलव पाँच शून्य रुपये

Data Digitally Signed by: RAVINDRA KUMAR JAIN



संक्षेप अधिकारी: RAVINDRA KUMAR JAIN

तहसील, गणेशगढ़ जमद: गणेशगढ़

दिनांक एवं समय: 24-12-2016 09:52:57

यह उत्तरपत्र खतौनी इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल सिग्नेचर द्वारा जारी की गयी है तथा उदा. डिजिटल प्रमाण द्वारा प्रमाणित है।

उत्तरपत्र उत्तरपत्र खतौनी का वेब-पेज <http://upbhulekh.gov.in> Website पर जाकर किया जा सकता है।